रक्तदान के लिए रोस्टर बनाकर साल पर लगाएं शिविर

मेडिकल कॉलेजों सहित स्वास्थ्य विभाग के काम-काज की समीक्षा

स्वदेश संवाददाता, बिलासपुर।

- सीजीएमएससी को तेजी से निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश
- कमिश्नर ने डीन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की ली बैठक

संभागायुक्त श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने अधिकारियों की बैठक लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए चल रहे निर्माण कार्यों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट करते हुए निर्माण एजेन्सी सीजीएमएससी को तेजी से काम पूर्ण करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने ज्यादा मात्रा में रक्तदान संग्रहित करने के लिए रोस्टर बनाकर वर्ष भर रक्तदान शिविर आयोजित करने को कहा है। बैठक में संभाग की तीनों शासकीय मेडिकल कॉलेज के डीन, ब्लड बैंक के नोडल अधिकारी, सीजीएमएससी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

श्रीमती राजपूत ने जिलों में संचालित सक्रिय ब्लड बैंकों की जानकारी ली। उन्होंने इलाज के लिए रक्त की मांग और इसकी उपलब्धता में अंतर को पाटने के लिए लोगों को ब्लड दान के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदा-कदा रक्तदान शिविर लगाना पर्याप्त नहीं है। यह कार्य नियमित रूप से होने चाहिए। स्कूल, कॉलेज और औद्योगिक संस्थानों को शामिल कर एक रोस्टर बनाया जाना चाहिए। इस रोस्टर के अनुरूप साल भर शिविर लगते रहना चाहिए। विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं और समाज प्रमुखों की सेवाएं भी इस पावन कार्य में लिया जाना चाहिए। उन्होंने ब्लड के अलग-अलग अवयव को पृथक कर इन्हें सुरक्षित रखने के उपाय पर जोर दिया।

कमिश्नर ने सिम्स सहित संभाग की तीनों शासकीय मेडिकल कॉलेज में चल रहे निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चल रहे कार्यों की प्राथमिकता तय कर ली जाये और जो काम ज्यादा जरूरत का है, उसे पहले पूर्ण किया जाये। रायगढ़ का मेडिकल कॉलेज शहर से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। इसलिए मरीजों के आने-जाने के लिए सिटी बस चलाने की सभावना पर विचार करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए। उन्होंने बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर रिक्तियों की जानकारी लेकर भर्ती शुरू करने के लिए शासन स्तर पर प्रयास करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि और सेवाओं में सुधार राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

खदान संचालक व ट्रांसपोर्टरों की दो दिवसीय कार्यशाला

- खनन, परिवहन और प्रदूषण से जुड़े नियम कायदों की दी जा रही जानकारी

स्वदेश/बिलासपुर। कलेक्टर बिलासपुर के निर्देश पर दिनांक 7 एवं 8 फरवरी 2024 को मंथन सभाकक्ष मे पर्यावरण स्वीकृति का री अप्रेसल, खान सुरक्षा के प्रावधानों एवं पर्यावरण की शर्तों का पालन तथा खनिज के परिवहन के सम्बन्ध मे कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।

कार्यशाला के प्रथम दिन आज 7 फरवरी को श्री आर के सिंग, निदेशक खान सुरक्षा द्वारा खान सुरक्षा निदेशालय के द्वारा किये जाने वाले कार्यों की विस्तृत जानकारी देते हुऐ खदानों के सुरक्षित संचालन हेतु क्या क्या उपाय किया जाना आवश्यक है, बेच की ऊचाई, स्लोप कैसा हो, कर्मचारियों की सुरक्षा के क्या उपाय किया जाना आवश्यक है, जान माल की दुर्घटना से कैसा बचना आवश्यक है, किस किस स्थिति में तत्काल प्रभाव से खदाने बंद कराई जा सकती है इत्यादि विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई।

श्री अरुण कुमार, उप संचालक खान सुरक्षा द्वारा एम एम आर 1961 मे किसी भी खदान के संचालन के सम्बन्ध मे प्रावधानों की जानकारी देते हुए यह बताया की खदान संचालन प्रारम्भ, कुछ समय बंद रखना है, बंद करने के बाद फिर शुरू करना है तो हर स्थिति की जानकारी खान सुरक्षा को देना आवश्यक होने की जानकारी दी, खदान मे कार्य करने वाले मजदूरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य परिक्षण कराने, उन्हें क्या क्या बीमारी हो सकती है के सन्दर्भ मे विस्तृत जानकारी दी।

श्री दिनेश मिश्रा, उपसंचालक खनिज तथा श्री देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण मण्डल बिलासपुर ने जिला स्तर पर 15.01.2016 से 13.09.2018 के मध्य जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात (दिया) से जारी पर्यावरण स्वीकृति का री अप्रेसल राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (सीया) से कराया जाना आवश्यक है, की जानकारी देते हुये इस हेतु क्या क्या दस्तावेजों की अवश्यकता है तथा इसे पोर्टल के माध्यम से कैसे अप्लाई किया जाना है की जानकारी विस्तृत रूप से दी तथा खदान संचालकों को इस विषय पर आ रही दिक्कतों का समाधान भी बताया।

इस कार्यशाला मे खनिज अधिकारी श्री अनिल साहू, खनी निरीक्षक श्री राहुल गुलाटी, बिल्हा, तखतपुर के डोलोमाइट खदान संचालक, मस्तूरी एवं कोटा क्षेत्र के खदान संचालक उपस्थित थे।

राशन दुकान के लिए आवेदन आमंत्रित

बिलासपुर। जनपद पंचायत तखतपुर के ग्राम नरोतीकापा (लमेर) में नवीन शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए आवेदन मंगाये गये है। इच्छुक सहकारी सोसायटियां, महिला स्व सहायता समूह, ग्राम पंचायत एवं अन्य उपभोक्ता 15 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तखतपुर में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

एसईसीएल को मिले नए निदेशक तकनीकी

- एन फ़्रेंकलिन जयकुमार ने किया एसईसीएल के निदेशक तकनीकी (योजना/ परियोजना) का पदभार ग्रहण

स्वदेश/बिलासपुर। एन फ़्रेंकलिन जयकुमार द्वारा 7 फरवरी 2024 को एसईसीएल के निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) का पदभार ग्रहण किया गया। श्री जयकुमार के पदभार ग्रहण करने के अवसर पर एसईसीएल सीएमडी डॉ प्रेम सागर मिश्रा, शीर्ष प्रबंधन, सीवीओ, एसईसीएल संचालन समिति के सदस्यों, कंपनी कल्याण मण्डल के सदस्यों, विभिन्न विभागाध्यक्षों, अधिकारियों-कर्मचारियों ने बधाई व शुभकामनाएँ दी।

एसईसीएल आने से पहले एन. फ्रैंकलिन जयकुमार एनएलसी इंडिया लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक - कोयला समन्वय और परियोजना प्रमुख, तालाबीरा II और III ओसीपी, के रूप में कार्यरत थे। उनके पास कोयला उद्योग में भारत एवं विदेश में स्थित विभिन्न सरकारी एवं निजी कंपनियों में कोयला परियोजनाओं के विकास, संचालन एवं प्रबंधन के क्षेत्र काम करने का 31 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। एन. फ्रैंकलिन जयकुमार ने वर्ष 1992 में इंजीनियरिंग कॉलेज, गिंडी, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई से माइनिंग इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। इसके साथ ही उन्होने केंद्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद से पर्यावरण इंजीनियरिंग और प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय, तमिलनाडु से एमबीए (मानव संसाधन प्रबंधन) की डिग्री भी अर्जित की है। इसके साथ ही उन्होने खान सुरक्षा महानिदेशालय से फ़र्स्ट क्लास माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट ऑफ कोंपिटेंसी भी अर्जित किया है।

न्यायालय तहसीलदार बिलासपुर छ.ग.
//राजस्व मामले का नोटिस//
क्रमाक/क/तह./वा./2024
बिलासपुर दिनांक 31/01/2024

एतद द्वारा श्री शुभम उपाध्याय पिता दिनेश उपाध्याय निवासी दुर्गा नगर लिंगियाडीह निवासी लिंगियाडीह को सूचित किया जाता है कि ग्राम लिंगियाडीह प.ह.नं. 31 तहसील बिलासपुर स्थित भूमि ख.नं. 54 रकबा 0.14 एकड़ भूमि की अभिलेख सुधार के लिए श्रीमती मंगलीन बाई वगै. पति बंशीलाल अठौलिया निवासी लिंगियाडीह द्वारा आवेदन किया गया।

उक्त प्रकरण के सुनवाई दिनांक 16/02/2024 के लिए नियत है। अतः आप दिनांक **16/02/2024** को सुबह 11.00 बजे स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर दावा/ आपत्ति पेश कर सकते है। समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति स्वीकार नही किये जावेगें।

आज दिनांक 31/01/2024 को मेरे पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी।

तहसीलदार
बिलासपुर (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार-2 बिलासपुर छ.ग.
//मामले की श्रेणी:राजस्व//
CG4808131012024051

तहसील बिलासपुर के प.ह.नं.00037 के अंतर्गत ग्राम तोरवा के वर्तमान भूमि स्वामी ईतवारी राम पटेल पिता/ पति स्व. रामानुज पटेल पता वार्डनं. 36 नियर तोरवा तहसील एवं जिला बिलासपुर बसंत कुमार (बसंत कुमार पटेल) पिता/ पति परागी राम पटेल पता वार्ड नं. 36 पटेल मोहल्ला तोरवा बिलासपुर के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 1170/1 (0.0185) में प्रस्तावित भूमि स्वामी/ क्रेता मौसमी सेन शर्मा पिता/पति अमिताभ सेन शर्मा पता वार्ड. नं. 45 हेमू नगर तहसील एव जिला बिलासपुर के नाम पर पंजीयन /फौती होने के उपरांत नामांतरण /अभिलेख दुरूस्ती /खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक **26/02/2024** को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय न्यायालय नायब तहसीलदार- 2 बिलासपुर पर की जावेगी।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति /संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो इश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं /अधिवक्ता /आम मुख्त्यार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक **05/02/2024** को जारी किया जाता है।

नायब तहसीलदार
बिलासपुर (छ.ग.)

न्यायालय नजूल अधिकारी बिलासपुर छ.ग.
//ईश्तहार//
रा.प्र.क्र. 92/अ-20(1)/ 2023-24
पक्षकार- शैलेश कुमार अग्रवाल पिता महेश अग्रवाल- आवेदक
विरुद्ध
छत्तीसगढ़ शासन- अनावेदक

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शैलेश कुमार अग्रवाल पिता महेश अग्रवाल निवासी जरहाभाठा बिलासपुर छ.ग. के द्वारा स्वतः/ अधिवक्ता के माध्यम से नगर पालिक निगम बिलासपुर के मोहल्ला जरहाभाठा शीट नंबर 04 प्लाट नंबर 83/3, 82/1, 84/3 रकबा 750 वर्गफीट भूमि को स्थायी पटटे पर आवासीय/ व्यवसायिक उपयोग हेतु उसके नाम से स्वीकृत है। जिसका पटटा समाप्ति की तिथि 31/03/2024 के लिए आवेदक / आवेदिका अगले 30 वर्षो के लिये उपरोक्त भूमि का नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/ आवेदिका की स्थायी पटटे की लीज नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित है।

अतः इस संबंध में किसी भी व्यक्ति/ संस्था को उक्त भूमि के नवीनीकरण किये जाने में कोई आपत्ति हो तो वे अपना आपत्ति दिनांक **22/02/2024** को स्वतः /अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में शाम 5.30 बजे तक उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। इसके पश्चात तिथि /समय में आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा एवं आवेदक /आवेदिका की स्थायी पटटे पर विचाराधीन भूमि के नवीनीकरण की कार्यवाही कर ली जायेगी।

आज दिनांक **06/02/2024** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
बिलासपुर (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार सकरी जिला बिलासपुर छ.ग.
//ईश्तहार//
ग्राम अमेरी तहसील सकरी जिला बिलासपुर छ.ग.

एतद द्वारा सर्व साधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री मुकेश पटेल पिता श्री रामजी पटेल निवासी रिंग रोड-2 तहसील व जिला बिलासपुर छ.ग. द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम अमेरी स्थित भूमि खसरा नं. 500/30 रकबा 1350 वर्गफीट भूमि आवेदक के स्वामित्व की भूमि है। उक्त भूमि के वर्तमान रिकार्ड में आवेदक के नाम स्थान पर किसी अन्य का नाम एवं रकबा 630 वर्गफीट दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है जिसे सुधार किए जाने हेतु छ.ग.भू.रा.सं. की धारा 115 के तहत आवेदन न्यायालय श्रीमान अ.वि.अ.रा. तखतपुर जिला बिलासपुर छ.ग. में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तथा इस न्यायालय को जांच प्रतिवेदन हेतु प्राप्त हुआ है । इस ईश्तहार के माध्यम से दावा/ आपत्ति आमंत्रित किया जाता है।

अतः उक्त आवेदन के संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा/ आपत्ति हो तो वह अपना दावा/ आपत्ति स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में नियत पेशी दिनांक **15/02/2024** तक प्रस्तुत कर सकते है। उक्त तिथि पश्चात दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक **29/01/2024** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील व मुहर से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
सकरी (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पेण्ड्रारोड जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही (छ.ग.)
//उद्घोषणा//
क्र./क/अ.वि.अ./रीडर-1/2023
पेण्ड्रारोड दिनांक 07/02/2024
प्र.क्र.अ2/2022-23

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रद्धा केडिया पति श्री संदीप केडिया जाति अग्रवाल (सामान्य) निवासी गौरेला तहसील पेण्ड्रारोड जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही छ.ग. 495117 द्वारा ग्राम सारबहरा प.ह.नं. 20 रा.नि.मं. सारबहरा तहसील पेण्ड्रारोड में स्थित भूमि ख.नं. 120/10 रकबा 0.020 हे. भूमि को कृषि से भिन्न आवासीय हेतु व्यपवर्तन किये जाने बावत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक **23/02/2024** को दोपहर 02. 00 बजे तक अपना दावा आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिकृत अभिभाषक के माध्यम प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि पश्चात प्राप्त होने वाले वा आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नही किया जावेगा।

आज दिनांक **07/02/2024** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
पेण्ड्रारोड (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार बिलासपुर छ.ग.
//ईश्तहार//
क्रमाक/क/तह./वा./2024
बिलासपुर दिनांक 03/01/2024

ग्राम मंगला के सर्व साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि ग्राम मंगला प.ह.नं. 35 तहसील बिलासपुर स्थित भूमि ख.नं. 324/2, 31/4, (32/4, 35/4, 36/4) 325/6, रकबा 0.3220, 0.0810, 0.0450 हे. एकड़ भूमि की नामांतरण /वसीयतनामा के आधार पर किये जाने के लिए श्री अर्जुन भोजवानी पिता स्व. सेवकराम भोजवानी निवासी गोड़पारा बिलासपुर द्वारा आवेदन किया गया।

यदि किसी व्यक्ति/ संस्था को किसी प्रकार की आपत्ति/ दावा हो तो मेरे न्यायालय में दिनांक **09/02/2024** को सुबह 11.00 स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति /दावा प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति स्वीकार नही किये जावेगें।

आज दिनांक **03/01/2024** को मेरे पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी।

तहसीलदार
बिलासपुर (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार बिलासपुर छ.ग.
//ईश्तहार//

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक विजय कुमार पिता राजू महरा निवासी ग्राम गतौरा (रांक) प.ह.नं. 19 रा.नि.मं. जयराम नगर तहसील मस्तूरी जिला बिलासपुर ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि आवेदक के दादा की मृत्यु दिनांक 12/06/1980 को हुआ है जो पंजीयन नही होने के कारण पत्र प्रदाय नही किया गया है। आवेदक अपने दादा नाम सखाराम पिता स्व. बहोरिक की मृत्यु का प्रमाण पत्र की मांग किया है। अतः इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई दावा या आपत्ति हो तो वह स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक **22/02/2024** को अपना दावा आपत्ति उप तहसील सीपत में प्रस्तुत कर सकते है। म्याद वाद प्राप्त आपत्ति दावा पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक **30/01/2024** को न्यायालय की पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

तहसीलदार
सीपत (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पेण्ड्रारोड जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही (छ.ग.)
//उद्घोषणा//
क्र./क/अ.वि.अ./रीडर-1/2023
पेण्ड्रारोड दिनांक 07/02/2024
प्र.क्र.अ2/2022-23

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक पवनोयनका पिता श्यामलाल गोयनका जाति अग्रवाल (सामान्य) निवासी पो.आ. पेण्ड्रा तहसील पेण्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही छ.ग. 495119 द्वारा ग्राम बंधी प.ह.नं. 03 रा.नि.मं. पेण्ड्रा तहसील पेण्ड्रा में स्थित भूमि ख.नं. 525/ 7 रकबा 0.039 हे. भूमि को कृषि से भिन्न व्यवसायिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किये जाने बावत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक **23/02/2024** को दोपहर 02. 00 बजे तक अपना दावा आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिकृत अभिभाषक के माध्यम प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि पश्चात प्राप्त होने वाले वा आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नही किया जावेगा।

आज दिनांक **07/02/2024** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
पेण्ड्रारोड (छ.ग.)

न्यायालय नजूल अधिकारी बिलासपुर छ.ग.
//ईश्तहार//

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिकागण श्रीमती राम कुमारी पति धर्मराज गुप्ता वगैरह निवासी जूना बिलासपुर तहसील व जिला बिलासपुर छ.ग. ने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर नगर पालिक निगम बिलासपुर के मोहल्ला चांटापारा शीट नं. 12 प्लाट नं. 18 रकबा 1420 व.फु.भूमि स्थित है। उक्त भूमि धारक रेवाराम पिता लक्ष्मण प्रसाद के नाम पर नजूल अभिलेख में दर्ज है। जिनकी मृत्यु दिनांक 21/06/1966 को हो चुकी है। आवेदिकागण फौती के आधार पर नामांतरण करने के लिए छ.ग.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109,110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वे दिनांक **22/02/2024** को न्यायालयीन समय में स्वतः उपस्थित होकर अथवा अपने विधि मान्य प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर दावा/ आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के उपरांत प्राप्त आपत्ति/दावा विचारणीय नही होगा।

आज दिनांक **06/02/2024** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
बिलासपुर (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार बिलासपुर (छ.ग.)
//ईश्तहार //
क्रमांक/क/तह./वा./2024
बिलासपुर, दिनांक 12/01/2024

ग्राम मोपका के सर्व साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि ग्राम मोपका प.ह.नं. 29 तहसील बिलासपुर स्थित भूमि ख.नं. 2033/3 रकबा 0.360 हे. एकड़ भूमि की नामांतरण/ फौती के आधार पर किये जाने के लिए श्रीमती मल्लिका बाई पति फिरोज हुसैन निवासी रानू रंगवासा इंदौर द्वारा आवेदन किया गया।

यदि किसी व्यक्ति/ संस्था को किसी प्रकार की आपत्ति/ दावा हो तो मेरे न्यायालय में दिनांक **23/02/2024** को सुबह 11.00 बजे स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से दावा/ आपत्ति स्वीकार नही किये जावेगें।

आज दिनांक **12/02/24** को मेरे पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी।

तहसीलदार
बिलासपुर छ.ग.

न्यायालय तहसीलदार बिलासपुर छ.ग.
//मामले की श्रेणी:राजस्व//
CT202324400108600091

तहसील बिलासपुर के प.ह.नं.00040 के अंतर्गत ग्राम तिफरा के वर्तमान भूमि स्वामी एस पी खरे पिता बृद्ध सिंह पता के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 529/10(0.0200) में प्रस्तावित भूमि स्वामी / क्रेता राजेश खरे पिता एस ओई खरे पता आर्या कॉलोनी तिफरा बिलासपुर सविता श्रीवास्तव पिता/पति एस पी खरे पता नेहरू नगर भिलाई, मनीष खरे पिता एस पी खरे पता आर्या कॉलोनी तिफरा बिलासपुर राकेश खरे पिता एस पी खरे पता आर्या कॉलोनी तिफरा बिलासपुर शैल खरे पिता/पति एस पी खरे पता आर्या कॉलोनी तिफरा बिलासपुर के नाम पर पंजीयन /फौती होने के उपरांत नामांतरण /अभिलेख दुरूस्ती /खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक **23/02/2024** को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय न्यायालय तहसीलदार बिलासपुर पर की जावेगी।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति /संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो इश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं /अधिवक्ता /आम मुख्त्यार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक **31/01/2024** को जारी किया जाता है।

तहसीलदार
बिलासपुर (छ.ग.)

न्यायालय नजूल अधिकारी बिलासपुर छ.ग.
//ईश्तहार//
रा.प्र.क्र. 92/अ-20(1)/ 2023-24
पक्षकार- शैलेश, हितेश, रितेश पिता महेश अग्रवाल- आवेदक
विरुद्ध
छत्तीसगढ़ शासन- अनावेदक

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शैलेश, हितेश, रितेश अग्रवाल पिता महेश अग्रवाल निवासी जरहाभाठा बिलासपुर छ.ग. के द्वारा स्वतः/ अधिवक्ता के माध्यम से नगर पालिक निगम बिलासपुर के मोहल्ला जरहाभाठा शीट नंबर 04 प्लाट नंबर 81/4 रकबा 480 वर्गफीट भूमि को स्थायी पटटे पर आवासीय/ व्यवसायिक उपयोग हेतु उसके नाम से स्वीकृत है। जिसका पटटा समाप्ति की तिथि 31/03/2024 के लिए आवेदक / आवेदिका अगले 30 वर्षो के लिये उपरोक्त भूमि का नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/ आवेदिका की स्थायी पटटे की लीज नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित है।

अतः इस संबंध में किसी भी व्यक्ति/ संस्था को उक्त भूमि के नवीनीकरण किये जाने में कोई आपत्ति हो तो वे अपना आपत्ति दिनांक **22/02/2024** को स्वतः /अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में शाम 5.30 बजे तक उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। इसके पश्चात तिथि /समय में आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा एवं आवेदक /आवेदिका की स्थायी पटटे पर विचाराधीन भूमि के नवीनीकरण की कार्यवाही कर ली जायेगी।

आज दिनांक **06/02/2024** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
बिलासपुर (छ.ग.)

न्यायालय नजूल अधिकारी बिलासपुर छ.ग.
//ईश्तहार//
रा.प्र.क्र. 90/अ-20(1)/ 2023-24
पक्षकार- श्रीमती माया देवी अग्रवाल पति महेश अग्रवाल - आवेदक
विरुद्ध
छत्तीसगढ़ शासन- अनावेदक

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती माया देवी पति महेश अग्रवाल निवासी जरहाभाठा बिलासपुर छ.ग. के द्वारा स्वतः/ अधिवक्ता के माध्यम से नगर पालिक निगम बिलासपुर के मोहल्ला जरहाभाठा शीट नंबर 04 प्लाट नंबर 31/1, 83/4, 84/2 रकबा 954 वर्गफीट भूमि को स्थायी पटटे पर आवासीय / व्यवसायिक उपयोग हेतु उसके नाम से स्वीकृत है। जिसका पटटा समाप्ति की तिथि 31/03/2024 के लिए आवेदक / आवेदिका अगले 30 वर्षो के लिये उपरोक्त भूमि का नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/ आवेदिका की स्थायी पटटे की लीज नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित है।

अतः इस संबंध में किसी भी व्यक्ति/ संस्था को उक्त भूमि के नवीनीकरण किये जाने में कोई आपत्ति हो तो वे अपना आपत्ति दिनांक **22/02/2024** को स्वतः /अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में शाम 5.30 बजे तक उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। इसके पश्चात तिथि /समय में आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा एवं आवेदक /आवेदिका की स्थायी पटटे पर विचाराधीन भूमि के नवीनीकरण की कार्यवाही कर ली जायेगी।

आज दिनांक **06/02/2024** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम जोन क्र 03 बिलासपुर (छ.ग.)
निविदा सूचना

क्र.37/न.पा.नि./जोन क्र.03/2023-24 दिनांक 05/02/2024

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल निविदा दिनांक 27/02/2024 को सायं काल 5:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क
1	वार्ड क्र. 16 विष्णु नगर में विभिन्न स्थानों में नाली/ सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	6.00	4500	750
2	वार्ड क्र. 19 महाराष्ट्र मंडल सामुदायिक भवन में अधूरे शेष निर्माण कार्य को पूर्ण करने का कार्य।	5.00	5000	750

नगर निगम के विभागीय वेब साईट www.bilaspurnagarnigam.com से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

जोन आयुक्त, जोन क्र.03
नगर पालिक निगम, बिलासपुर (छ.ग.)

Green City, Clean City, Dream City.

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

पंजीकृत कार्यालय: 602, 6वीं मंजिल, जीरो वन आईटी पार्क, एसआर नंबर 79/1, घोरपडी, मुंधवा रोड, पुणे - 411036 ब्रांच ऑफ यूनिट: पहली मंजिल, चावला कॉम्प्लेक्स, साई नगर, रायपुर -492099 (छत्तीसगढ़)।

ई-नीलामी-बिक्री सूचना
SARFAESI अधिनियम के तहत सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पढ़ें। सूचना इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के पास गिरवी रखा गया है। 17 नवंबर 2023 से पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम बदलकर ग्रिहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कर दिया गया (पहले इसे मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और मूल रूप से जीई मनी हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम से निगमित किया गया था) (इसके बाद इसे 'सिक्योर्ड क्रेडिटर' के रूप में जाना जाता है) अधिनियम के अनुसार), जिसका कब्ज़ा सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नोटिस के अनुसार सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। अधिनियम की धारा 13(2) के तहत।

सुरक्षित संपत्तियां ई-नीलामी के माध्यम से 23/02/2024 को 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ है' के आधार पर बेची जाएंगी। इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट- https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी करने जा रहे हैं। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया जीएचएफएल/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट यानी www.grihumhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।

| सं. क्र. | मांग सूचना दिनांक और बकाया राशि {ए} | मांग सूचना दिनांक और बकाया राशि {बी} | कब्जे की प्रकृति {सी} | संपत्ति का विवरण {डी} | संरक्षित कीमत {ई} | ईएमडी (आरपी का